रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2002/आश्विन 26, 1924
No. 478] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2002/ASVINA 26, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खण्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2002

सा.का.नि. 714(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तंभ और दीपपोत विभाग (समूह ''क'' और ''ख'' अतकनीकी पद) भर्ती नियम 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में समूह ''क'' और ''ख'' अतकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह ''क'' और ''ख'' अतकनीकी पद) भर्ती नियम 2002 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताए और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षो का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(1) प्रशासनिक अधिकारी	1* (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	10000-325-15200 रूपये	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।

8.	9.	10.
लागू नहीं होता	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11.	12.
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

(क)(I) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रूपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हैं, या

(III) जिन्होने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रूपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:-

आवश्यक:(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से उपाधि या समतुल्य।

(II) प्रशासन, लेखा और स्थापन संबंधित कार्यो में 5 वर्ष का अनुभव है।

वांछनीय:- प्रकाश स्तंभ से संबंधित कार्य का अनुभव।

टिप्पण: 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/ संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केंन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13.	14.
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय : सदस्य 3. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(2) कार्यकारी अधिकारी	7* (2002)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह' ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	7450-225-11500 रूपये	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं

*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

टिप्पण:1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण:2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है)।

8.	9.	10.
आवश्यक:(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से उपाधि या समतुल्य (II) किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठन में प्रशासन, लेखा तथा स्थापन संबंधी कार्यों का 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। वाछनीय: प्रकाश स्तंभों से संबंधित कार्य का अनुभव।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

11.	12.
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :-	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-
(क)(I)	जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
(II)	जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रूपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की हैं, या
(III)	जिन्होने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रूपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की है, और
(ख)	जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
टिप्पण: 1.	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण: 1.	प्रतिनियुक्ति/ संविधा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13.	14.
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय — अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय — सदस्य 3. एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को अधिमानता दी जाएगी) – सदस्य	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करनाआवश्यक है।

[फा.सं. एल एच-13012/1/2000-एस एल]

एम. रामाचंद्रन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2002

G.S.R. 714(E).— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'A' and Group 'B' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1990 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' Non-Technical posts in the Directorate General of Lighthouses and Lightships namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group 'A' and Group 'B' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applications -** These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Number of posts, Classification and Scales of Pay -** The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** - Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Officer	1* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	10000-325-15200	Selection	Not applicable	No

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	NO	2 Years	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion:-- Executive Officers with 7 years' regular service in the grade. Note: Where juniors, who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government: - (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadres/ Department; or (ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; or. (iii) with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.6500-10500 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: - Essential : (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) 5 years experience in Administration, Accounts and Establishment matters.	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion. 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping - Member 3. Director General of Lighthouses and Lightships -Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

3232GI/02-2

(12)	(13)	(14)
Desirable:- Experience in work relating to Lighthouses. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Executive Officer	7* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	7450-225-11500	Selection

(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. Note 1: Relax-able for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya ,Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.	NO	**Essential** i) Degree of a recognised University or equivalent. ii) 3 years experience in Administration, accounts and establishment matters in Government/ Semi Government Organisations. **Desirable: -** Experience in work relating to Lighthouses

(9)	(10)	(11)	(12)
NO	1 year for Direct Recruits and Promotees.	Promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment.	**Promotion: -** Superintendents with 5 years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors, who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation:-** **Officers of the Central Government: -** (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department ; or (ii) with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.6500-10500. or equivalent in the parent cadre/ department; or (iii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in Col. 8.

	(10)	(11)	(12)
			Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion 1. Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman 2. Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member 3. An outside member not below the rank of Under Secretary (preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe) - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. LH-13012/1/2000-SL]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002